संख्या-72/2024/001-1029 -23-12-2024-23-12099/630/2020

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में सुमेरनगर से रामनगर संकल्पा तक लम्बाई 51.51 किमी0 (57.0989 हे0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण के चालू कार्य पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-10755/CE-HQ-1/INB/INDO/ 2024-25, दिनांक 08.10.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में सुमेरनगर से रामनगर संकल्पा तक लम्बाई 51.51 किमी0 में भूमि अध्याप्ति हेतु परियोजना से संबंधित अवशेष धनराशि रू0 3924.58 के सापेक्ष रू0 1660.00 लाख (रू0 सोलह करोड़ साठ लाख) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम / मार्ग का कोड	स्वीकृत संशोधित लागत (लाख रू0 में)	कार्यों की लागत में बचत	गत वर्ष तक आवंटन	01.04.2024 को अवशेष (बचत समायोजन के पश्चात)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व आवंटन	भौतिक प्रगति (%)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मांग (+)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नि0ख0-4 (इ0ने0बा0) खीरी	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में सुमेरनगर से रामनगर संकल्पा तक लम्बाई 51.51 किमी0 के भूमि अध्याप्ति का कार्य (61387)	4751.38	0.00	826.80	3924.58	0.00	22	1660.00	1660.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत आवंटित धनराशि के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि द्विरावृत्ति न हो।

(5) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 166000000.00 (रू0 सोलह करोड़ साठ लाख) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043370600 इण्डो-नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था मानक मद-60-भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/ मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. अधिशासी अभियंता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in